



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

NAAC Accreditation- "A" Grade

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह

Prof. Krishna Kumar Singh

कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्रमांक : 28/2017/BOS/03 (पार्ट)/779

दिनांक : 10. 07. 2018

कार्यालय आदेश

सुश्री रूपा केरकेट्टा, पी-एच.डी. शोधार्थी (2013-14), दलित एवं जनजाति अध्ययन को विशेष परिस्थिति में बिना फेलोशिप के 06 माह (16.07.2018 से आगे) की शोध अवधि का विस्तार दिया जाता है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(कृष्ण कुमार सिंह)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. निदेशक, डॉ.बा.सा.अंबेडकर-सिदो कान्हू मुर्मू दलित एवं जनजातीय अध्ययन केंद्र को सक्षम निकाय में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने संबंधी आवश्यक कार्रवाई के लिए।
4. सहायक कुलसचिव (अकादमिक)।
5. परीक्षा विभाग।
6. वित्त विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए।
7. सुश्री रूपा केरकेट्टा, पी-एच.डी. शोधार्थी ।
8. संबंधित फाइल